

संचालनालय आयुष, म०प्र०

(भू-तल "डी" विंग, सतपुडा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in

E-mail:jdayush@mp.gov.in

Office (0755)2552931

Fax (0755) 2760225

दिनांक : 10/12/2025

—विज्ञप्ति—

—स्नातकोत्तर स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड II काउंसिलिंग कार्यक्रम (स्टेट कोटा)—

—एम.डी/एम.एस आयुर्वेद/एम.डी. होम्योपैथी —

म०प्र० स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम-2024 एवं संशोधन नियम-2025 के अनुक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग से प्रवेशानुमति प्राप्त निजी आयुर्वेद/होम्योपैथी महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही एम०पी० ऑनलाइन के माध्यम से संपन्न कराई जायेगी।

2/ प्रवेश काउंसिलिंग के अंतर्गत स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड- II का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	AIAPGET -2025 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन तिथि	दिनांक 12/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक
2	पंजीयन फार्म में ऐडिट करने की सुविधा (Only For the newly registered candidates of the Stray vacancy round-I.)	दिनांक 12/12/2025 रात्रि 11:59 बजे तक
3	हेल्प सेन्टर्स पर अभिलेख सत्यापन (Please note that once the candidate's details have been verified, they will not be able to make any further changes to their registration information.)	दिनांक 13/12/2025 सायं 05 बजे तक
4	रिक्त सीटों की स्थिति	दिनांक 15/12/2025
5	मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 15/12/2025
6	पात्रताधारी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	दिनांक 15/12/2025
7	अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण (च्वाईस फीलिंग)	दिनांक 16/12/2025 प्रातः 09:00 बजे से सायं 11:59 बजे तक
8	च्वाईस फीलिंग, लॉकिंग तथा ऐडिट करने की सुविधा	दिनांक 16/12/2025 प्रातः 09:00 बजे से सायं 11:59 बजे तक
9	महाविद्यालयवार मेरिट सूची का प्रकाशन	दिनांक 17/12/2025
10	महाविद्यालय में अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति (रिपोर्टिंग) दर्ज कराने की तिथि एवं समय	दिनांक 18/12/2025 को सायं 05:00 बजे तक
11	महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	18/12/25 को सायं 06:00 बजे तक
12	महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश	दिनांक 19/12/2025 प्रातः 09 बजे से सायं 05:00 बजे तक
13	प्रवेश निरस्तीकरण	19/12/2025 सायं 06:00 बजे तक

नोट:-

- 1- प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी उक्त प्रकाशित ऑनलाइन काउंसिलिंग कार्यक्रम अनुसार प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
- 2- पंजीयन उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रदेश के शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालय में अपने अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- 3- उपरोक्त काउंसिलिंग प्रक्रिया अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली/म०प्र० शासन, आयुष विभाग से प्रवेशानुमति प्राप्त शासकीय स्वशासी एवं निजी आयुष महाविद्यालयों को सम्मिलित किया जायेगा।

..2

//2//

- 4- मैरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में निर्धारित समय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मैरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश दिया जायेगा।
- 5- महाविद्यालय में रिपोर्टिंग हेतु निर्धारित समयावधि में उपस्थिति दर्ज न कराने की स्थिति में प्रवेश हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 6- महाविद्यालय में निर्धारित समयावधि में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की महाविद्यालय में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में पुनः मैरिट जारी की जायेगी जिसके आधार पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रवेश प्रदान किया जायेगा।
- 7- नियम/निर्देशों एवं किसी भी प्रकार के अपडेट/संशोधन हेतु विभागीय वेबसाइट <https://ayush.mp.gov.in> एवं एम0पी0 ऑनलाइन पोर्टल <https://ayush.mponline.gov.in> का सतत अवलोकन करते रहें।

आयुक्त द्वारा निर्देशित

प्र0उप संचालक
संचालनालय आयुष म0प्र0